वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 20

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

पीएम जन धन योजना

20. श्री नवसकनी के.: श्री मलैयारासन डी.:
श्री जी. सेल्वम: श्री जयन्त बसुमतारी:
श्री सी. एन. अन्नादुरई: डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के विशिष्ट संदर्भ में, देश में जारी किए गए प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों और रूपे डेबिट कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या जिले के सभी बसावट वाले गांवों में पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रूपे कार्ड, डिजिटल भुगतान और डीबीटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जिले में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन में सुधार, पीएमजेडीवाई के उपयोग को मजबूत करने और ग्रामीण तमिलनाडु में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कई पीएमजेडीवाई खाते निष्क्रिय हैं या उनमें जीरो बैलेंस रहता है और यदि हां, तो इनका सक्रिय उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं और आधार और मोबाइल नंबरों से जुड़े खातों और डीबीटी प्राप्त करने वालों का प्रतिशत कितना है;

(ड.) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे पीएमजेडीवाई खातों का ब्यौरा क्या है जिनमें जीरो बैलेंस, कम शेष और निष्क्रिय लेनदेन हैं और एनईआर मे औसत जमा कितना है तथा राष्ट्रीय स्तर पर लेनदेनों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए उठाए गए कदमों ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): दिनांक 12.11.2025 की स्थिति के अनुसार देश में और तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों और रुपे डेबिट कार्डों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या	पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड
क्षेत्र	56,98,76,402	39,30,53,864
रामनाथपुरम	3,33,740	2,18,269

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का प्रयास देश के बसावट वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर एक बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/ कारोबार प्रतिनिधि / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) प्रदान करना है। बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप नामक जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप द्वारा की जाती है। जेडीडी ऐप के अनुसार, दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के बसावट वाले सभी गांवों को 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर किया गया है।

बैंक ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से गांवों, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) को माइक्रो-एटीएम पर रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने में ग्राहकों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहकों से एसएमएस/ईमेल के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 01 अक्टूबर, 2022 और 30 सितंबर, 2025 के बीच बैंकों की ग्रामीण शाखाओं और वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा 9352 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान जैसे विषयों को शामिल किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए खाते में कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है, तो बचत के साथ-साथ चालू खाते को निष्क्रिय/सुषुप्त माना जाता है। बैंक खाते को सक्रिय रखने के लाभों सहित बैंकिंग संबंधी अभ्यासों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिविरों का आयोजन करके परिचालन खातों की प्रतिशतता की निगरानी करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास करते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी है -
• उन खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करना जहां एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं हुआ है; और
• इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए उपाय करना।

बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुगम और निर्बाध बनाएं, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, गैर-घरेलू शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) को निर्बाध रूप से अद्यतन करना शामिल है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं से संबद्ध पीएमजेडीवाई खातों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 85.8 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते आधार से जुड़े हुए हैं। पीएमजेडीवाई खातों सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ दिया जा रहा है।

नीति आयोग को पीएमजेडीवाई के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं के संवर्धन और नामांकन के लिए समय-समय पर विभिन्न विशिष्ट अभियान चलाती है। हाल ही में, देश भर में दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक एक ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्ति अभियान शुरू किया गया था, जिसमें "निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों" सहित सभी खाताधारकों (जहां भी देय) का री-केवाईसी करना, अभियान की प्रमुख केंद्र गतिविधियों में से एक था।

निष्क्रिय खातों और पीएमजेडीवाई खातों में औसत जमा सहित शून्य-शेष पीएमजेडीवाई खातों का विवरण पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्य और देश इस प्रकार हैं:

पीएमजेडीवाई खाते	क्षेत्र	पूर्वोत्तर राज्य
खातों की कुल संख्या	56,98,76,402	2,99,29,100
निष्क्रिय खाते	15,07,18,294	76,80,404
शून्य शेष खाता	5,21,65,274	39,94,583
औसत जमा (रुपये में)	4,808	2,983

*****